

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

राँची, दिनांक - 23/09/2016

विषय:- सिमडेगा सबस्टेशन से मनोहरपुर सबस्टेशन तक 132 K.V D/C ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-26.814 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक-841 दिनांक-26.08.2016, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-1014 दिनांक-29.08.2016 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन, राँची से प्राप्त ज्ञापांक-1425 दिनांक-07.09.2016 से प्राप्त प्रस्ताव (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है:-

- (क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (ग) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (घ) प्रस्तावित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य से संभावित भू-क्षरण को रोकने के उद्देश्य से मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (ङ) प्रयोक्ता अभिकरण को गज संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य तथा Human-elephant conflict के mitigation का कार्य परियोजना खर्च पर करना होगा।
- (च) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-24/2016- 4430

राँची, दिनांक- 23/09/2016

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0-अथोक्त।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-24/2016- 4430

राँची, दिनांक- 23/09/2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड, H.E.C, धुर्वा, राँची/श्री आर0के0 सैनी, प्रबंधक (जे0सी0पी0), पावर ग्रिड, जमशेदपुर, झारखण्ड-832108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

PART – V

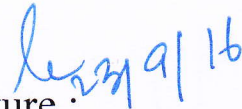
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 26.814 ha of Forest Land for Construction of 132 KV D/C Transmission Line from Simdega Sub-Station to Manoharpur Sub-Station in favour of JUSNL.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 26.814 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 4430 dated-23/09/2016

Signature : 

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

उप सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 23/09/2016

Place : Ranchi

(Official Seal)